

राजस्थान विधान सभा
आठवां सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

- (I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में हो रहे कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री हीरालाल नागर, सदस्य, विधान सभा, कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में हुई कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे : -

- I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम);
- II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त);
- III- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र); एवं
- IV- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.

4. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री ज्ञानदेव आहूजा, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क', 2016-2017, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित समिति के पाँचवे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

5. याचिका का उपस्थापन

श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर नगर निगम की चूंगी पुनर्भरण अनुदान राशि को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>	<u>मुख्य शीर्षक</u>
1.	27	- पेयजल योजना
2.	46	- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

नोट - आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 की शेष मांगों मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

7. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-2)
विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-7)

“वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।”

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 27 मार्च, 2017

पृथ्वी राज
सचिव